

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या : 70/2021

तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

भागीरथ पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

..... प्रार्थी

बनाम

01. राधा देवी पत्नि रमेश चन्द जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
02. पन्ना लाल पिता मागु जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
03. रूपा पिता देवा लाल जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
04. लीला देवी पत्नि राधेश्याम जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
05. रूकमा देवी पत्नि बहादुर जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 3/12/2021

प्रार्थना पत्र भागीरथ पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया भीलवाडा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द्र धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलिया की खाता सं. 123 पर आराजी संख्या 439 रकबा 4.1000 है0 कुल किता 1 रकबा 4.1000 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।


अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलिया की खाता सं. 123 पर आराजी संख्या 439 रकबा 4.1000 है0 कुल किता 1 रकबा 4.1000 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 कांस्या बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।




(प्रभारी अधिकारी)
प्रशासन पॉडोणसंगअधिकारी 2021
(उपबिजौलियनरी)
बिजौलियां (भीलवाडा)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)



अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

.....कारिख वनामशधा देवी
किस्म मुकदमा -111-128..... नम्बर70...../2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/9 /2021	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। पेरोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 12/10/2021 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी विजौलियां</p>	
03/12 2021	<p>पत्रावली बन्द बस्ते से आज प्रशासन गाँवी के संग अभियान 2021 में शिविर स्थान उमा जी का छेड़ा में पेश हुई, पत्रावली का अबलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली कैसल शुमार होकर हाजिल दफ्तर ही।</p> <p style="text-align: center;"> प्रशासन गाँवी संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) विजौलियां (भीलवाड़ा)</p>	